74

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 862-तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-12-12 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 58/स्वमेव निग./04-05.

1- प्रेमबाई बेवा श्यामलाल
2- मेहरबान
3- फूलसिंह
4- मानसिंह
5- धन्नू
6- गोविंदा
पुत्रगण स्व. श्यामलाल
7- रबूदी पुत्री श्यामलाल
समस्त निवासीगण ग्राम पंचमऊआ
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर ---- अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. अवस्थी ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14- मार्च - 2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/स्व.निग. /04-05 में पारित आदेश दिनांक 27-12-12 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, परगना मुंगावली द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2अ-19/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 10-12-99 द्वारा ग्राम सेहराई स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 282 रकबा 15.016 हैक्टर में से आवेदकगण के पूर्वज मृतक श्यामलाल एवं अनावेदक क्रमांक 3 फूलसिंह को 2.000 हैक्टर - 2.000 हैक्टर का वंटन किया गया । नायब तहसीलदार के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया जिस पर से कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेते हुए आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदकों को ग्राम सेहराई स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 282 रकबा 15.016 हैक्टर में से आवेदकगण के पूर्वज मृतक श्यामलाल एवं अनावेदक क्रमांक 3 फूलसिंह को 2.000-2.000 हैक्टर भूमि का पट्टा दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायत के आधार पर तहसील न्यायालय के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुए 13 वर्ष उपरांत आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ने जो आधार वंटन निरस्त करने का दिया है वह अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि आवेदक फूलसिंह के नाम कोई भूमि पट्टा दिए जाने के दिनांक को नहीं थी और दूसरे पट्टाग्रहीता श्यामलाल के नाम 1.045 हैक्टर जो भूमि बताई गई है वह शामलाती खाते की है नाकि अकेले श्यामलाल के नाम

पर । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायापलय का ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि वंटन में प्राप्त भूमि को आवेदकों ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये हैं । 13 वर्ष उपरांत व्यवस्थापन रद्द करना न्यायदान नहीं है । यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर.एन. 251 इंदारसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4- अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदकों को अपात्र होते हुए किया गया है इसलिए निगरानी निरस्त की जाये ।

5- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण में कि नायब तहसीलदार, परगना मुंगावली द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2अ-19/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 10-12-99 द्वारा ग्राम सेहराई स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 282 रकबा 15.016 हैक्टर में से आवेदकगण के पूर्वज मृतक श्यामलाल एवं अनावेदक क्रमांक 3 फूलसिंह को 2.000 हैक्टर - 2.000 हैक्टर का वंटन किया गया । नायब तहसीलदार के इस आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर 13 वर्ष उपरांत निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस 13 वर्ष की अवधि को आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व

संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । '' किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6- प्रकरण में विचार योग्य बिंदु यह भी है कि नायब तहसीलदार, मुंगावली द्वारा भूमि का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 10-12-1999 द्वारा किया गया । भूमि बंटन/व्यवस्थापन में प्राप्त कर कब्जा लेने के बाद आवेदकों ने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर समतल बनाते हुए कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसी भूमि को 13 वर्ष उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि '' भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 50 - भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं । '' इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/स्व.निग./04-05 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2012 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार, परगना मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-19/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक

10-12-1999 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम ग्राम सेहराई स्थित प्रश्नाधीन भूमियों पर पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर